



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272892
CG-DL-E-27052026-272892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 369]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

सा.का.नि. 410(अ).—केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मसौदा जारी करने का प्रस्ताव करती है, और तदनुसार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 की उपनियम (3) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इससे संभावित रूप से प्रभावित होनेवाली जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित मसौदा नियम बनाए जाते हैं तथा यह सूचित किया जाता है कि राजपत्र में निहित उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात अथवा उसके बाद विचार में लिया जाएगा।

यदि मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई भी व्यक्ति आपत्तियाँ या सुझाव प्रस्तुत करने में रुचि रखता हो तो वे लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के विचारार्थ, उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003 को भेज सकते हैं अथवा उन्हें ई-मेल पते diriapolicy-moefcc@gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं।

मसौदा अधिसूचना

जबकि, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ), [जिसे इसके बाद यहाँ तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 कहा

जाएगा] द्वारा, केंद्र सरकार ने कुछ तटीय भागों को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया है और उक्त क्षेत्र में उद्योगों, संचालनों और प्रक्रियाओं की स्थापना और विस्तार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं;

और जबकि, केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों से सीआरजेड-आईए को छोड़कर, सीआरजेड क्षेत्रों के भीतर लीनियर अल्काइल बेंजीन (एलएबी), एन-पैराफिन और कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक (सीबीएफएस) की प्राप्ति और भंडारण की अनुमति देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

और जबकि, इस मामले को जांच के लिए संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भेजा गया था। उद्योग-II के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और उसकी राय थी कि उक्त पेट्रोलियम उत्पादों को सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुबंध-II के तहत अनुमोदित सूची में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि सीआरजेड क्षेत्रों में, सीआरजेड -आईए को छोड़कर, उनका भण्डारण किया जा सके।

और जबकि, इस मामले को सीआरजेड अनापत्ति के लिए क्षेत्रीय ईएसी को भी भेजा गया था। उचित विचार-विमर्श के बाद, ईएसी ने सिफारिश की है कि ऊपर बताए गए रसायनों की प्राप्ति और भण्डारण को सीआरजेड क्षेत्रों में, सीआरजेड-आईए को छोड़कर, सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों के तहत अनुमति दी जा सकती है।

और जबकि, दिनांक 26 सितंबर, 2025 को हुई अपनी 48वीं बैठक में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। एनसीजेडएमए ने समुचित विचार-विमर्श के पश्चात, इन उत्पादों के तुलनात्मक रूप से कम खतरनाक रासायनिक गुणों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें पहले से ही अनुमति दी जा चुकी है, सर्वसम्मति से अनुशंसा की कि लीनियर अल्काइल बेंजीन (एलएबी), एन-पैराफिन और कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक (सीबीएफएस) को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में, सीआरजेड-आईए को छोड़कर, तटीय विनियमन अधिसूचना, 2019 के परिशिष्ट-II में आवश्यक संशोधन के माध्यम से प्राप्त करने और भंडारण की अनुमति दी जाए।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (2) के उपधारा (1) और खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

अनुलग्नक-II में,-

क्रम संख्या (xxiii) के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या प्रविष्ट की जाएगी नामतः-

(xxiv) लीनियर अल्काइल बेंजीन (एलएबी),

(xxv) एन-पैराफिन

(xxvi) कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक (सीबीएफएस) ”

[फा. सं. 19-27/2018-आईए -III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, धारा 3, उप-धारा (i) में संख्या सा. का.नि 37 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई और दिनांक 24 नवंबर, 2022 को अधिसूचना संख्या सं.आ 5495 (अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**New Delhi, 26th May, 2026

G.S.R.410(E)—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in

Draft Notification

WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 [hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

AND WHEREAS, the Central Government have received representations from various State Coastal Zone Management Authorities regarding permitting the receiving and storing of Linear Alkyl Benzene (LAB), N-Paraffin, and Carbon Black Feedstock (CBFS) within CRZ areas, excluding CRZ-IA.

AND WHEREAS, the matter was referred to the concerned sectoral Expert Appraisal Committee for examination. The Expert Appraisal Committee (EAC) for Industry-II deliberated on the issue and was of the opinion that the said petroleum products may be considered for inclusion in the approved list under Annexure-II of the CRZ Notification, 2019, for storage in CRZ areas, excluding CRZ-IA.

AND WHEREAS, the matter was also referred to the sectoral EAC for CRZ Clearances. After due deliberation, the EAC recommended that the receipt and storage of the above mentioned chemicals may be considered permissible within CRZ areas, excluding CRZ-IA, under the provisions of the CRZ Notification, 2019.

AND WHEREAS, the matter was also placed before the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) in its 48th meeting held on 26th September, 2025. The NCZMA after due deliberation, considering the comparatively lower hazardous chemical characteristics of these products in relation to those already permitted, unanimously recommended allowing the receipt and storage of Linear Alkyl Benzene (LAB), N-Paraffin, and Carbon Black Feedstock (CBFS) in CRZ areas, excluding CRZ-IA, through the necessary amendment to Annexure-II of the CRZ Notification, 2019.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2019, namely: -

In the said notification,-

in the Annexure-II,-

after serial number (xxiii), the following serial number shall be inserted, namely:-

“(xxiv) *Linear Alkyl Benzene (LAB)*,

(xxv) *N-Paraffin,*

(xxvi) *Carbon Black Feedstock (CBFS)”*

[F. No. 19-27/2018-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide, number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 and last amended vide the notification number S.O. 5495(E), dated the 24th November, 2022.